



लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
दिनांक 07 नवम्बर, 2016 की सम्पन्न हुई कार्य परिषद की कार्यवाही
उपस्थित

| | |
|---|------------------|
| 1. डॉ० एस०बी० निमसे | अध्यक्ष / कुलपति |
| 2. प्रो० यू०एन० द्विवेदी प्रतिकुलपति | सदस्य |
| 3. श्री रतन कुमार | सदस्य |
| 4. श्री राकेश कुमार सिंह | सदस्य |
| 5. प्रो० नन्दलाल भारती | सदस्य |
| 6. प्रो० रीता चौधरी | सदस्य |
| 7. डॉ० आर०के०वर्मा | सदस्य |
| 8. प्रो० बालक दास | सदस्य |
| 9. प्रो० बी०के० तिवारी | सदस्य |
| 10. प्रो०(क्षीमती) कीर्ति सिन्हा | सदस्य |
| 11. डॉ० अर्चना अग्रवाल | सदस्य |
| 12. डॉ० एम०एस० नकवी | सदस्य |
| 13. श्री अनिल कुमार सिंह | सदस्य |
| 14. प्रो० सूर्य कान्त | सदस्य |
| 15. श्री देवी प्रसाद चौधरी | सदस्य |
| 16. श्री सुरेश चन्द्र तिवारी | सदस्य |
| 17. प्रो० आभा अदस्थी | सदस्य |
| 18. श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय, वित्त अधिकारी | विशेष आमंत्रित |
| 19. श्री राम कुमार | कुलसचिव / सचिव |

बैठक के आरम्भ में सर्वप्रथम कुलपति/अध्यक्ष कार्य परिषद ने सभी मा० सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने कार्यपरिषद में नवागत मा० सदस्य प्रो० राकेश कुमार सिंह अधिष्ठाता विधि संकाय का स्वागत किया एवं परिषद में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले मा० सदस्य प्रो० अरविन्द कुमार अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय को कार्यपरिषद में समय-समय पर अपना सुझाव देने एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। तदुपरान्त मा० कुलपति/अध्यक्ष महोदय ने कुलसचिव/ सचिव को बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश दिये:-

118

कार्यसूची

मद सं० 01. कार्य परिषद की बैठक दिनांक 11.07.2016, एवं आकस्मिक बैठक 11.08.2016 तथा दिनांक 20.09.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि किया जाना।

मद सं० 02. परिषद द्वारा उक्त बैठकों की कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई। परिषद द्वारा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 11.07.2016, एवं आकस्मिक बैठक 11.08.2016 तथा दिनांक 20.09.2016 के कार्यवृत्त की कृत कार्यवाही से परिषद को अवगत कराया जाना। कार्य परिषद की बैठक दिनांक 11.07.2016, 11.08.2016 एवं 20.09.2016 के कार्यवृत्त की कृत कार्यवाही से परिषद अवगत हुई।

मद सं० 03. लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित विभागों में शैक्षणिक पदों के सापेक्ष स्कीनिंग कमेटी के उपरान्त सम्पन्न चयन समिति की संस्तुतियों परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

(चयन समिति की संस्तुतियों परिषद के समक्ष तत्समय प्रस्तुत की जाएंगी)

| क्र. सं. | चयन समिति की तिथि | विभाग | पद |
|----------|-------------------|-----------------------|---|
| 01. | 26.09.2016 | समाज कार्य | असिस्टेन्ट प्रोफेसर(दो पद) संविदा विज्ञापन सं० 7/15 |
| 02. | 26.09.2016 | समाज कार्य | असिस्टेन्ट प्रोफेसर पब्लिक हेल्थ(कम्यूनिटी मेडिसिन) (दो पद) संविदा विज्ञापन सं० 7/15 |
| 03. | 26.09.2016 | समाज कार्य | असिस्टेन्ट प्रोफेसर किमिनोलॉजी एण्ड किमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन (दो पद) संविदा विज्ञापन सं० 7/15 |
| 04. | 26.09.2016, | समाज कार्य | असिस्टेन्ट प्रोफेसर पापुलेशन एजुकेशन एण्ड रुरल डेवलपमेन्ट (दो पद) संविदा विज्ञापन सं० 7/15 |
| 05. | 10.01.2016 | पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन | कैस ओल्ड रूल लेक्चरर (सीनियर स्केल) डॉ० श्रद्धा चन्द्रा नी कटियार |
| 06. | 10.01.2016 | पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन | कैस न्यू रूल असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज-3) डॉ० श्रद्धा चन्द्रा नी कटियार |

परिषद् ने सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित पर अनुमोदन प्रदान किया:-

01. असिस्टेन्ट प्रोफेसर (दो पद) संविदा विज्ञापन सं० 7/15 समाज कार्य विभाग

- (क) मिस शिखा सिंह लखनऊ चयनित
(ख) श्री रजनेश कुमार यादव लखनऊ चयनित

02. असिस्टेन्ट प्रोफेसर पब्लिक हेल्थ (कम्युनिटी मेडिसिन) (दो पद) संविदा विज्ञापन सं० 7/15

- (क) मोहिनी गौतम चयनित

03. असिस्टेन्ट प्रोफेसर किमिनोलॉजी एण्ड किमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन (दो पद) संविदा विज्ञापन सं० 7/15

- (क) डॉ० ओमेन्द्र कुमार यादव चयनित

04. असिस्टेन्ट प्रोफेसर पापुलेशन एजुकेशन एण्ड रुरल डेवलपमेन्ट (दो पद) संविदा विज्ञापन सं० 7/15

- (क) सुश्री गरिमा सिंह चयनित
(ख) संध्या यादव चयनित

05. कैस ओल्ड रूल लेक्चरर (सीनियर स्केल) डॉ० श्रद्धा चन्द्रा नी कटियार

कुलसचिव / सचिव कार्यपरिषद् ने सदन को अवगत कराया कि उक्त चयन समिति की बैठक दिनांक 10.01.2016 को सम्पन्न हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य वि०वि० अधिनियम 1973 (धारा 8 क) के अनुसार प्रकरण राजभवन को कारण सहित सन्दर्भित किया जाना चाहिए लेकिन अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि डॉ० कटियार के विरुद्ध जाँच प्रक्रिया चल रही थी जिसके कारण निर्धारित अवधि में उनका लिफाफा नहीं खोला गया था। जाँच प्रक्रिया समाप्त हो गयी है एवं उन्हें अज्ञात देकर प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप सम्यक् विचारोपरान्त मा० सदस्यों ने सुश्री कटियार के चयन समिति से सम्बन्धित लिफाफे को खोलने की सर्वसम्मत से अनुमति प्रदान की, तदनुसार चयन समिति की संस्तुति से सदन को अवगत कराया गया, परिषद् ने चयन समिति की संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया।

06. कैस न्यू रूल असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज-3) डॉ० श्रद्धा चन्द्रा नी कटियार

परिषद् द्वारा डॉ० श्रद्धा चन्द्रा नी कटियार को कैस न्यू रूल असिस्टेन्ट प्रोफेसर (स्टेज-3) प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।



भद सं० 04 कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो डॉ० आनन्द बल्लभ जोशी असिस्टेन्ट प्रोफेसर गणित विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा पूर्व संस्था दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डीम्ड विश्वविद्यालय आगरा में आहरित वेतन को वर्तमान कार्यरत लखनऊ विश्वविद्यालय में संरक्षित किए जाने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा डॉ० आनन्द बल्लभ जोशी असिस्टेन्ट प्रोफेसर गणित विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा पूर्व संस्था दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डीम्ड विश्वविद्यालय आगरा में आहरित वेतन को वर्तमान कार्यरत लखनऊ विश्वविद्यालय में संरक्षित किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान कर शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया।

भद सं० 05. कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो डॉ० रजनीश कुमार वर्मा असिस्टेन्ट प्रोफेसर भौतिक विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा पूर्व संस्था राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में आहरित वेतन को वर्तमान कार्यरत लखनऊ विश्वविद्यालय में संरक्षित किए जाने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा डॉ० रजनीश कुमार वर्मा असिस्टेन्ट प्रोफेसर भौतिक विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा पूर्व संस्था राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में आहरित वेतन को वर्तमान कार्यरत लखनऊ विश्वविद्यालय में संरक्षित किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान कर शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया।

भद सं० 06. लखनऊ विश्वविद्यालय संयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ लुआक्टा द्वारा प्रस्तुत पत्र जो शासनादेश संख्या 534/70-5-2015-100/2009 दिनांक 11.03.2015 के अर्न्तगत राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालय तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों एकेडमिक नान वोकेशनल स्टाफ की श्रेणी में प्रवक्ता लाइब्रेरी पदनाम प्रदान किया गया है, को लखनऊ विश्वविद्यालय परिनियमावली में सम्मिलित किए जाने विषयक कार्य परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा संयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ लुआक्टा द्वारा प्रस्तुत पत्र जो शासनादेश संख्या 534/70-5-2015-100/2009 दिनांक 11.03.2015 के अर्न्तगत राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालय तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों एकेडमिक नान वोकेशनल स्टाफ की श्रेणी में प्रवक्ता लाइब्रेरी पदनाम प्रदान किया गया है, को लखनऊ विश्वविद्यालय परिनियमावली में सम्मिलित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। तदनुसार प्रकरण राजभवन को संदर्भित किया जायेगा।

भद सं० 07. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के सामुदायिक केन्द्र के आवंटन हेतु नियमावली परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के सामुदायिक केन्द्र के आवंटन हेतु नियमावली में संशोधन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि पंजीकरण कराने के बाद आवंटन निरस्त कराने पर काशन मनी वापस नहीं की जायेगी।



मद सं० 08. कुलसचिव के पत्र सं० 24852 दिनांक 02.09.2016 जो लखनऊ विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कु० कोमल पाण्डेय का अभ्यर्थन शासनादेश के अनुपालन में निरस्त कर दिया गया था, का प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

कुलसचिव के पत्र सं० 24852 दिनांक 02.09.2016 जो लखनऊ विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कु० कोमल पाण्डेय का अभ्यर्थन शासनादेश के अनुपालन में निरस्त कर दिया गया था, का प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं० 09. परिषद की बैठक दिनांक 19.09.2015 के विनिष्पन्न संख्या-15 में लिए गए निर्णयानुसार दिनांक 31.03.2015 तक के कार्यरत कर्मियों को नियत वेतन प्रदान किया जा चुका है। इसके पश्चात शेष बचे 35 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियत वेतन प्रदान किए जाने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा सम्यक्विचारोपरान्त संदर्भित प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया। ऐसे प्रत्येक कर्मचारी का आदेश निर्गत करने से पूर्व यह निश्चित किया जायेगा कि वह कर्मचारी पूर्ववत् एवं निरन्तर कार्य कर रहा है या नहीं एवं तदक्रम में सम्पुष्टि लेखा विभाग से करायी जायेगी।

मद सं० 10. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में चयनित असिस्टेंट प्राफेसर श्री दीपक कुमार आजाद (अनु०जा० पर आरक्षित पद पर) की नियुक्ति के उपरान्त कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में श्री आजाद का अभ्यर्थन निरस्त करने तथा अधिमानी कम में द्वितीय स्थान पर चयनित अभ्यर्थी श्रीमती निहारिका लखनऊ(अनु०जा० पर आरक्षित पद पर) की नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में चयनित असिस्टेंट प्राफेसर श्री दीपक कुमार आजाद (अनु०जा० पर आरक्षित पद पर) की नियुक्ति के उपरान्त कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में श्री आजाद का अभ्यर्थन निरस्त करने तथा अधिमानी कम में द्वितीय स्थान पर चयनित अभ्यर्थी श्रीमती निहारिका लखनऊ(अनु०जा० पर आरक्षित पद पर) की नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं० 11. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग में कार्यरत प्राफेसर रश्मि रेखा का दिनांक 01.09.2016 से 15.09.2016 तक का पूर्व स्वीकृत Sabbatical Leave सम्बन्धी प्रस्ताव निरस्त करने हेतु सम्बन्धी प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग में कार्यरत प्राफेसर रश्मि रेखा का दिनांक 01.09.2016 से 15.09.2016 तक का पूर्व स्वीकृत Sabbatical Leave सम्बन्धी प्रस्ताव निरस्त करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।



मद सं 12 लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ लूटा द्वारा प्रस्तुत पत्र जो यू0जी0सी0 द्वारा नोटिफिकेशन दिनांक 31.12.2008 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित परिनियम में वर्णित प्राविधानों के अर्न्तगत पी0एच0डी0/एम0फिल0 उपाधि उत्तीर्ण एसोसिएट शिक्षक को इन्ट्री लेवल दिए जाने विषयक प्रकरण कार्य परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

लखनऊ विश्वविद्यालय संयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ लुआवटा द्वारा प्रस्तुत पत्र जो यू0जी0सी0 द्वारा नोटिफिकेशन दिनांक 31.12.2008 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित परिनियम में वर्णित प्राविधानों के अर्न्तगत पी0एच0डी0/एम0फिल0 उपाधि उत्तीर्ण एसोसिएट शिक्षक को इन्ट्री लेवल दिए जाने के सम्बन्धी प्रकरण पर शासन को पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया।

मद सं 13 परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉ0 नागेन्द्र कुमार मौर्या असिस्टन्ट प्राफेसर व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग को शासनादेश दिनांक 20.06.1989 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को दृष्टिगत करते हुए पूर्व संस्था में आहरित मूल वेतन रु0 पे-बैन्ड रु0 22,980/- तथा ए0जी0पी0 6,000 को संरक्षण हेतु शासन भेजे जाने से पूर्व परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉ0 नागेन्द्र कुमार मौर्या असिस्टन्ट प्राफेसर व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग को शासनादेश दिनांक 20.06.1989 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को दृष्टिगत करते हुए पूर्व संस्था में आहरित मूल वेतन रु0 पे-बैन्ड रु0 22,980/- तथा ए0जी0पी0 6,000 के संरक्षण सम्बन्धी प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान कर शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया।

मद सं 14 परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को जिन्होंने राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त किए हो-उन शिक्षकों को 62 वर्ष की अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के पश्चात दो वर्ष का सेवा विस्तार अनुमन्य करने के लिए शासनादेश दिनांक 03.12.2013 द्वारा परिनियमावली के परिनियम संख्या 16.24 में परन्तुक के रूप में समावेशित किया जाना है, का प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को जिन्होंने राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त किए हो-उन शिक्षकों को 62 वर्ष की अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के पश्चात दो वर्ष का सेवा विस्तार अनुमन्य करने के लिए शासनादेश दिनांक 03.12.2013 द्वारा परिनियमावली के परिनियम संख्या 16.24 में परन्तुक के रूप में समावेशित किया जाना है, सम्बन्धित प्रकरण में शिक्षक दिवस एवं हिन्दी संस्थान द्वारा दिए गए पुरस्कार को भी सम्मिलित करने हेतु शासन से अनुरोध करने का भी अनुमोदन प्रदान किया। राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कारों की सूची राज्य सरकार से प्राप्त की जायेगी। तदनुसार प्रकरण राजभवन को सन्दर्भित किया जायेगा।

भद सं० 15. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में डॉ० सुमन कुमार मिश्रा असिस्टेंट प्राफेसर संविदा आई०एम०एस० की नियुक्ति डॉ० शंकुतला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय लखनऊ में असिस्टेंट प्राफेसर संविदा के पद पर हो जाने के उपरान्त कार्यग्रहण किए जाने हेतु डॉ० सुमन कुमार मिश्रा असिस्टेंट प्राफेसर संविदा आई०एम०एस० ल०वि०वि० के पद से त्यागपत्र दिए जाने के सम्बन्ध में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में डॉ० सुमन कुमार मिश्रा असिस्टेंट प्राफेसर संविदा आई०एम०एस० की नियुक्ति डॉ० शंकुतला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय लखनऊ में असिस्टेंट प्राफेसर संविदा के पद पर हो जाने के उपरान्त कार्यग्रहण किए जाने हेतु डॉ० सुमन कुमार मिश्रा असिस्टेंट प्राफेसर संविदा आई०एम०एस० ल०वि०वि० के पद से त्यागपत्र दिए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान किया।

भद सं० 16. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉ० शैली मलिक एसोसिएट प्राफेसर जन्तु विज्ञान विभाग को अलाबामा स्टेट यूनिवर्सिटी यू०एस०ए० में रमन पोस्ट डाक्टोरल रिसर्च फेलोशिप में शोध कार्य करने हेतु पूर्व में स्वीकृत दिनांक 11.08.2016 से 10.08.2017 तक स्टडी लीव पूर्ण वेतन को परिवर्तित कर दिनांक 03.10.2016 से दिनांक 02.10.2017 तक किए जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉ० शैली मलिक एसोसिएट प्राफेसर जन्तु विज्ञान विभाग को अलाबामा स्टेट यूनिवर्सिटी यू०एस०ए० में रमन पोस्ट डाक्टोरल रिसर्च फेलोशिप में शोध कार्य करने हेतु पूर्व में स्वीकृत दिनांक 11.08.2016 से 10.08.2017 तक स्टडी लीव पूर्ण वेतन को परिवर्तित कर दिनांक 03.10.2016 से दिनांक 02.10.2017 तक किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

भद सं० 17. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉ० सतीश चन्द्र प्रवक्ता विधि को विश्वविद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों को पूर्व सीमाओं में उनके द्वारा प्राप्त किए गए मूल वेतन को संरक्षित किए जाने हेतु शासनादेश दिनांक 20.06.1989 द्वारा प्रावधानित किया गया है, के वेतन को संरक्षित किए जाने का प्रकरण शासन को संदर्भित करने से पूर्व विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉ० सतीश चन्द्र प्रवक्ता विधि को विश्वविद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों को पूर्व सीमाओं में उनके द्वारा प्राप्त किए गए मूल वेतन को संरक्षित किए जाने हेतु शासनादेश दिनांक 20.06.1989 द्वारा प्रावधानित किया गया है, के वेतन को संरक्षित किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान कर शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया।



मद सं० 18. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉ० संगीता साहू प्रवक्ता एम०बी०ए० को विश्वविद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों को पूर्व सीमाओं में उनके द्वारा प्राप्त किए गए मूल वेतन को संरक्षित किए जाने हेतु शासनादेश दिनांक 20.06.1989 द्वारा प्रावधानित किया गया है, के वेतन को संरक्षित किए जाने का प्रकरण शासन को संदर्भित करने से पूर्व विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉ० संगीता साहू प्रवक्ता एम०बी०ए० को विश्वविद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों को पूर्व सीमाओं में उनके द्वारा प्राप्त किए गए मूल वेतन को संरक्षित किए जाने हेतु शासनादेश दिनांक 20.06.1989 द्वारा प्रावधानित किया गया है, के वेतन को संरक्षित किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान कर शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया।

मद सं० 19. परिषद द्वारा लाला महादेव प्रसाद वर्मा महाविद्यालय गोसाईगंज लखनऊ को एम०ए० गृह विज्ञान पाठ्यक्रम को शर्तों के अधीन स्थायी सहयुक्तता सत्र 2017-18 से प्रदान किए जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा लाला महादेव प्रसाद वर्मा महाविद्यालय गोसाईगंज लखनऊ को एम०ए० गृह विज्ञान पाठ्यक्रम को शर्तों के अधीन स्थायी सहयुक्तता सत्र 2017-18 से प्रदान किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं० 20. परिषद द्वारा श्री गुरु नानक गल्स डिग्री कालेज चारबाग लखनऊ को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत बी०बी०ए० पाठ्यक्रम को शर्तों के अधीन अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2017-18 से 03 वर्ष हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा श्री गुरु नानक गल्स डिग्री कालेज चारबाग लखनऊ को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत बी०बी०ए० पाठ्यक्रम को शर्तों के अधीन अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2017-18 से 03 वर्ष हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

सं० 21 शासन ने महामाया राजकीय महाविद्यालय, महोना, लखनऊ को बी०एस०सी० पाठ्यक्रम को शर्तों के अधीन अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2016-17 से प्रवेश की अनुमति प्रदान की है कालेज ने प्रवेश कर लिए हैं। सम्बद्धता सत्र 2016-17 से कार्यान्तर स्वीकृति परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

शासन ने महामाया राजकीय महाविद्यालय, महोना, लखनऊ को बी०एस०सी० पाठ्यक्रम को शर्तों के अधीन अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2016-17 से प्रवेश की अनुमति प्रदान की है कालेज ने प्रवेश कर लिए हैं, सम्बद्धता सत्र 2016-17 से कार्यान्तर स्वीकृति हेतु परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।



भद सं० 22. परिषद द्वारा अवध गर्ल्स डिग्री कालेज विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत एम०ए० अंग्रेजी पाठ्यक्रम को शर्तों के अधीन अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2017-18 से 02 वर्ष हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।


परिषद द्वारा अवध गर्ल्स डिग्री कालेज विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत एम०ए० अंग्रेजी पाठ्यक्रम को शर्तों के अधीन अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2017-18 से 02 वर्ष हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

भद सं० 23. परिषद द्वारा पंडित दीनदयाल राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाजीपुरम लखनऊ में पूर्व संचालित बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०कॉम तथा एम०ए० गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास व अर्थशास्त्र पाठ्यक्रमों को अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2016-17 से माननीय कुलपति महोदय जी ने कार्यपरिषद की अनुमोदन के प्रत्याशा में विस्तारित कर दिया है। सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित।

परिषद द्वारा पंडित दीनदयाल राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाजीपुरम लखनऊ में पूर्व संचालित बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०कॉम तथा एम०ए० गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास व अर्थशास्त्र पाठ्यक्रमों को अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2016-17 से माननीय कुलपति महोदय जी ने कार्यपरिषद की अनुमोदन के प्रत्याशा में विस्तारित कर दिया है, पर परिषद ने कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

भद सं० 24. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉ० अजय कुमार आर्या असिस्टेंट प्रोफेसर भूगर्भ विज्ञान विभाग को विश्वविद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों को पूर्व सीमाओं में उनके द्वारा प्राप्त किए गए मूल वेतन को संरक्षित किए जाने हेतु शासनादेश दिनांक 20.06.1989 द्वारा प्रावधानित किया गया है, के वेतन को संरक्षित किए जाने का प्रकरण शासन को संदर्भित करने से पूर्व विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉ० अजय कुमार आर्या असिस्टेंट प्रोफेसर भूगर्भ विज्ञान विभाग को विश्वविद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों को पूर्व सीमाओं में उनके द्वारा प्राप्त किए गए मूल वेतन को संरक्षित किए जाने हेतु शासनादेश दिनांक 20.06.1989 द्वारा प्रावधानित किया गया है, के वेतन को संरक्षित किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान कर शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया।



भद सं० 25. परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के ए०आई०एच० विभाग में कार्यरत एसोसिएट प्राफेसर डॉ० उदय नारायण सिन्हा का दिनांक 01.05.2016 से 31.12.2016 तक का Sabbatical Leave सम्बन्धी प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के ए०आई०एच० विभाग में कार्यरत एसोसिएट प्राफेसर डॉ० उदय नारायण सिन्हा का दिनांक 01.05.2016 से 31.12.2016 तक का Sabbatical Leave सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

भद सं० 26 परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में कार्यरत प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी को दिनांक 01.12.2016 से 31.05.2017 तक का वेतनरहित असाधारण अवकाश सम्बन्धी प्रस्ताव को माननीय कुलपति महोदय ने कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। परिषद के समक्ष सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में कार्यरत प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी का दिनांक 01.12.2016 से 31.05.2017 तक का वेतनरहित असाधारण अवकाश सम्बन्धी प्रस्ताव को माननीय कुलपति महोदय ने कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है पर परिषद ने कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

भद सं० 27 परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में कार्यरत प्राफेसर जे०वी०वैशंपायन जी का दिनांक 11.10.2016 से 21.11.2017 तक वेतनरहित असाधारण अवकाश सम्बन्धी प्रस्ताव को माननीय कुलपति महोदय ने कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। परिषद के समक्ष सूचनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में कार्यरत प्राफेसर जे०वी०वैशंपायन जी का दिनांक 11.10.2016 से 21.11.2017 तक का वेतनरहित असाधारण अवकाश सम्बन्धी प्रस्ताव को माननीय कुलपति महोदय ने कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है पर परिषद ने कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।



मद सं० 28 परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय डॉ० पूनम टण्डन उपाचार्य, भौतिक विज्ञान विभाग को आचार्य के मौलिक पद पर नियुक्त किए जाने के उपरान्त उनकी वरिष्ठता दिनांक 04.10.2006 से मात्र आचार्य पद की अगणित करने हेतु परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा सम्यक्विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रकरण में विधिक राय लेने के उपरान्त आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

अध्यक्ष महोदय जी के अनुमति से अन्य मद

मद 01-परिषद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत शिक्षकों की नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु संशोधित रेगुलेशन 2016 (IV Amendment) को विश्वविद्यालय परिनियमावली में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्ताव परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (भारत का राजपत्र/अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न)

परिषद द्वारा सम्यक्विचारोपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत शिक्षकों की नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु संशोधित रेगुलेशन 2016 (IV Amendment) को विश्वविद्यालय परिनियमावली में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया। तदनुसार प्रकरण राजभवन को सन्दर्भित किया जायेगा।

मद 02-परिषद के समक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थापित ONGC Centre of Advanced Studies (Established as a multi-disciplinary center for teaching and research under section 44 of the U.P. State Universities Act, 1973 by the Executive Council of the University of Lucknow vide its meeting held on February 5, 2015) Ordinance 2016 अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (Ordinance की छायाप्रति संलग्न)

परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थापित ONGC Centre of Advanced Studies (Established as a multi-disciplinary center for teaching and research under section 44 of the U.P. State Universities Act, 1973 by the Executive Council of the University of Lucknow vide its meeting held on February 5, 2015) Ordinance 2016 पर अनुमोदन प्रदान किया।



संख्या-03 परिषद द्वारा लाला महावीर प्रसाद ओम प्रकाश वर्मा कन्या महाविद्यालय शिवरी, मोहान रोड लखनऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पूर्व से संचालित बी0काम पाठ्यक्रम की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016-17 हेतु विस्तारण सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लाला महावीर प्रसाद ओम प्रकाश वर्मा कन्या महाविद्यालय शिवरी, मोहान रोड लखनऊ को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पूर्व से संचालित बी0काम पाठ्यक्रम की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2016-17 हेतु विस्तारण सम्बन्धी प्रकरण पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या-04 कार्य परिषद की बैठक दिनांक 11.07.2016 के विनिश्चय संख्या 04 के निर्णय पर परिषद ने पुनः विचार किया गया और सम्यक विचारोपरान्त यह अंत व्यक्त किया कि इस प्रकरण पर विश्वविद्यालय भा0 न्यायालय से वाद वापस लेकर सन्दर्भित प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

सम्बन्धित प्रस्ताव के साथ बैठक का सथापन किया गया।

(राम कुमार)
कुलपति / सचिव

(डॉ० एताबी0 निगसे)
कुलपति / अध्यक्ष



11/11/2016

श्री. कुमाराजी ने original copy signed and
Dr. Brajwans Mishra Dr. के पास
जाया गया है 08/11/2016

11/11/2016
Lucknow University
Lucknow.

कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ - 226007



पत्र संख्या R/906/17...
दिनांक...12/05/2017

शुद्धि पत्र

कृपया दिनांक 12.04.2017 की सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक की कार्य वृत्त के विनिश्चय संख्या (अ) तथा 23 (ब) में निम्न संशोधन के साथ संशोधित कर पढ़ा जाय।

| विद्यमान अंकन | संशोधित अंकन |
|--|--|
| <p>21(अ) विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में तत्समय आवश्यक न्यूनतम अर्हता न होने पर भी डॉ० सुकान्त कुमार चौधरी की प्रवक्ता पद पर की गयी नियुक्ति तथा डॉ० रमेश चन्द्र त्रिपाठी का विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में उपाचार्य पद पर किये गये अनुचित/संदिग्ध प्रत्यावर्तन के प्रकरण के सम्बन्ध में मा० कुलाधिपति कार्यालय के पत्र संख्या ई 11228 जी०एस० दिनांक 08.12.2016 के द्वारा विश्वविद्यालय/कार्य परिषद को दिये गये निर्देश के अनुपालन में परिषद द्वारा उक्त प्रकरण की जांच हेतु मा० कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें निम्न सदस्य नामित किये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रो० एस०पी० सिंह, मा० कुलपति, ल०वि०वि० (अध्यक्ष) 2. न्यायमूर्ति आलोक कुमार (सेवानिवृत्त) 3. श्री के.एल.गुप्ता,सेवानिवृत्त,डी.जी.पी. उत्तर प्रदेश। | <p>21(अ) विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में तत्समय आवश्यक न्यूनतम अर्हता न होने पर भी डॉ० सुकान्त कुमार चौधरी की प्रवक्ता पद पर की गयी नियुक्ति तथा डॉ० रमेश चन्द्र त्रिपाठी का विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में उपाचार्य पद पर किये गये अनुचित/संदिग्ध प्रत्यावर्तन के प्रकरण के सम्बन्ध में मा० कुलाधिपति कार्यालय के पत्र संख्या ई 11228 जी०एस० दिनांक 08.12.2016 के द्वारा विश्वविद्यालय/कार्य परिषद को दिये गये निर्देश के अनुपालन में परिषद द्वारा उक्त प्रकरण की जांच हेतु मा० कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक अनुशासनिक समिति का गठन किया गया जिसमें निम्न सदस्य नामित किये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रो० एस०पी० सिंह, मा० कुलपति, ल०वि०वि० (अध्यक्ष) 2. न्यायमूर्ति आलोक कुमार (सेवानिवृत्त) 3.श्री के.एल.गुप्ता,सेवानिवृत्त,डी.जी.पी. उत्तर प्रदेश। |
| <p>23(ब) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट पर विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 483/सत्तर- 1-2016-16 (59)/2016 दिनांक 09.11.2016 के सम्बन्ध में मा०राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या ई-10494/10जी०एस० 2016-XII दिनांक 14.12.2016 के आलोक में प्रो० जे०वी० वैशम्पायन तत्कालीन प्रोफेसर, व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु जांच रिपोर्ट पर परिषद द्वारा मा०कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें निम्न सदस्यों को नामित किए जाने पर परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गई।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.प्रो० एस०पी०सिंह, कुलपति ल०वि०वि० (अध्यक्ष) 2.न्यायमूर्ति आलोक कुमार (सेवानिवृत्त) 3.श्री के०एल० गुप्ता, सेवानिवृत्त, डी०जी०पी०, उत्तर प्रदेश। | <p>23(ब) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट पर विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 483/सत्तर-1-2016-16 (59)/2016 दिनांक 09.11.2016 के सम्बन्ध में मा० राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या ई-10494/10जी० एस० 2016-XII दिनांक 14.12.2016 के आलोक में प्रो० जे०वी० वैशम्पायन तत्कालीन प्रोफेसर, व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु जांच रिपोर्ट पर परिषद द्वारा मा० कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक अनुशासनिक समिति का गठन किया गया जिसमें निम्न सदस्यों को नामित किए जाने पर परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गई।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.प्रो० एस०पी०सिंह, कुलपति ल०वि०वि०(अध्यक्ष) 2.न्यायमूर्ति आलोक कुमार (सेवानिवृत्त) 3.श्री के०एल० गुप्ता, सेवानिवृत्त, डी.जी.पी., उत्तर प्रदेश। |

प्रो० राज कुमार सिंह
सचिव/कुलसचिव

प्रो० एस०पी० सिंह
अध्यक्ष/कुलपति

कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ – 226007



पत्र संख्या RA/06/11
दिनांक 10/04/2017

शुद्धि पत्र

कृपया दिनांक 12.04.2017 की सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक की कार्य वृत्त के विनिश्चय संख्या (अ) तथा 23 (ब) में निम्न संशोधन के साथ संशोधित कर पढ़ा जाय।

| विद्यमान अंकन | संशोधित अंकन |
|--|--|
| <p>21(अ) विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में तत्समय आवश्यक न्यूनतम अर्हता न होने पर भी डॉ० सुकान्त कुमार चौधरी की प्रवक्ता पद पर की गयी नियुक्ति तथा डॉ० रमेश चन्द्र त्रिपाठी का विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में उपाचार्य पद पर किये गये अनुचित/संदिग्ध प्रत्यावर्तन के प्रकरण के सम्बन्ध में मा० कुलाधिपति कार्यालय के पत्र संख्या ई 11228 जी०एस० दिनांक 08.12.2016 के द्वारा विश्वविद्यालय/कार्य परिषद को दिये गये निर्देश के अनुपालन में परिषद द्वारा उक्त प्रकरण की जांच हेतु मा० कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें निम्न सदस्य नामित किये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रो० एस०पी० सिंह, मा० कुलपति, ल०वि०वि० (अध्यक्ष) 2. न्यायमूर्ति आलोक कुमार (सेवानिवृत्त) 3. श्री के.एल.गुप्ता,सेवानिवृत्त,डी.जी.पी. उत्तर प्रदेश। | <p>21(अ) विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में तत्समय आवश्यक न्यूनतम अर्हता न होने पर भी डॉ० सुकान्त कुमार चौधरी की प्रवक्ता पद पर की गयी नियुक्ति तथा डॉ० रमेश चन्द्र त्रिपाठी का विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में उपाचार्य पद पर किये गये अनुचित/संदिग्ध प्रत्यावर्तन के प्रकरण के सम्बन्ध में मा० कुलाधिपति कार्यालय के पत्र संख्या ई 11228 जी०एस० दिनांक 08.12.2016 के द्वारा विश्वविद्यालय/कार्य परिषद को दिये गये निर्देश के अनुपालन में परिषद द्वारा उक्त प्रकरण की जांच हेतु मा० कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक अनुशासनिक समिति का गठन किया गया जिसमें निम्न सदस्य नामित किये गये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रो० एस०पी० सिंह, मा० कुलपति, ल०वि०वि० (अध्यक्ष) 2. न्यायमूर्ति आलोक कुमार (सेवानिवृत्त) 3.श्री के.एल.गुप्ता,सेवानिवृत्त,डी.जी.पी. उत्तर प्रदेश। |
| <p>23(ब) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट पर विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 483/सत्तर-1-2016-16 (59)/2016 दिनांक 09.11.2016 के सम्बन्ध में मा०राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या ई-10494/10जी०एस० 2016-XII दिनांक 14.12.2016 के आलोक में प्रो० जे०वी० वैशम्पायन तत्कालीन प्रोफेसर, व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु जांच रिपोर्ट पर परिषद द्वारा मा०कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें निम्न सदस्यों को नामित किए जाने पर परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गई।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.प्रो० एस०पी०सिंह, कुलपति ल०वि०वि० (अध्यक्ष) 2.न्यायमूर्ति आलोक कुमार (सेवानिवृत्त) 3.श्री के०एल० गुप्ता, सेवानिवृत्त, डी०जी०पी०, उत्तर प्रदेश। | <p>23(ब) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट पर विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 483/सत्तर-1-2016-16 (59)/2016 दिनांक 09.11.2016 के सम्बन्ध में मा० राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या ई-10494/10जी० एस० 2016-XII दिनांक 14.12.2016 के आलोक में प्रो० जे०वी० वैशम्पायन तत्कालीन प्रोफेसर, व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु जांच रिपोर्ट पर परिषद द्वारा मा० कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक अनुशासनिक समिति का गठन किया गया जिसमें निम्न सदस्यों को नामित किए जाने पर परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गई।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.प्रो० एस०पी०सिंह, कुलपति ल०वि०वि०(अध्यक्ष) 2.न्यायमूर्ति आलोक कुमार (सेवानिवृत्त) 3.श्री के०एल० गुप्ता, सेवानिवृत्त, डी.जी.पी., उत्तर प्रदेश। |

प्रो० राज कुमार सिंह
सचिव/कुलसचिव

प्रो० एस०पी० सिंह
अध्यक्ष/कुलपति 18/5